

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: 21.07.2022

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य हेतु रुपये 426.632 लाख (रुपये चार करोड़ छब्बीस लाख तिरसठ हजार दो सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 18/28.10.2021; (Online AA- 1220/ 02.11.2021); 24/13.07.2018; (Online AA- 882/ 13.07.2018) एवं 51/24.09.2019; (Online AA- 1463/ 25.09.2019)

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

(लाख रु. में)							
क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट उपबंध	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101-सतही जल/ 20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020010120000545	9500.00	3119.334	422.612	3541.946
2.	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोगना/ 20- पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य	05-निर्माण/ 45- निर्माण कार्य विपत्र कोड- 50S47020079620000545	9500.00	4077.650	4.020	4081.670
कुल :-					7196.984	426.632	7623.616
आवंटित राशि - रुपये चार करोड़ छब्बीस लाख तिरसठ हजार दो सौ मात्र।							

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट-2 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2022-23 के बजट शीर्ष- 47020010120000545 के बजट उपबंध राशि रु. 9500.00 लाख (रुपये पंचानबे करोड़) तथा बजट शीर्ष- 47020079620000545 के बजट उपबंध राशि रु. 9500.00 लाख (रुपये पंचानबे करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681, दि. 10.06.2015 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।


(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता




(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. झारखण्ड वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2023 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, **Online** उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन **Hard Copy** में **Access No** तथा **Revoke No/Surrender No** (संबंधित **LOC No** सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका **Access no** परिशिष्ट-1 एवं 2 के स्तंभ-15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

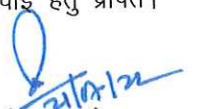
अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 74

राँची, दिनांक :- 21.07.2022

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/पलामू/गोड्डा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 74

राँची, दिनांक :- 21.07.2022

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II, जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक-यथोक्त।


(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय

लघु शीर्ष-101-सतही जल,

लघु शीर्ष-20-पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण

संशोधित बजट उपबंध (2022-23) - रूपये 9500.00 लाख (रूपये पंधानवे करोड़) मात्र

विपत्र कोड- 50S47020010120000545

संशोधित बजट उपबंध (2022-23) - रूपये 9500.00 लाख (रूपय पदानुष क्रमांक)																
विपन कोड- 50S47020010120000545																
(राशि लाख रुपये में)																
क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		एकराशित राशि	मार्च 2022 तक व्यय	वर्ष 2022-23 में				योजना पर कुल आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अव्युक्ति	
					प्रस्ता	राशि			Online प्रस्ता	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1		पलामू	तरहस्सी	मजदा आहर का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	19.9320		19.687	9.500	0.000	9.401	9.401	18.901			
1		पलामू	तरहस्सी	कसमार मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		75.5030		65.360	0.000	0.000	24.726	24.726	24.726			
2		पलामू	तरहस्सी	बनवारी आहर का जीर्णोद्धार		29.1180		28.782	16.000	0.000	10.194	10.194	26.194			
3		पलामू	पांकी	बबनकुरवा आहर का जीर्णोद्धार		33.3560		32.880	0.000	0.000	33.206	33.206	33.206			
4		पलामू	पांकी	सितवा आहर का जीर्णोद्धार		40.0170		32.486	16.391	0.000	12.846	12.846	29.237			
5		पलामू	पांकी	मुझमोझी आहर का जीर्णोद्धार		28.4740		28.145	7.000	0.000	20.021	20.021	27.021			
6	लघु सिंचाई प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMMIR041)	पलामू	पांकी	ग्राम-चन्द्रपुरा में बड़की आहर का जीर्णोद्धार		22.7240	1220 / 02.11.2021	22.407	0.000	0.000	21.513	21.513	21.513	38544		
7		पलामू	लेस्लीगंज	सिधलेवा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		60.0205		52.992	7.500	0.000	35.493	35.493	42.993			
8		पलामू	तरहस्सी	लाल बांध आहर का जीर्णोद्धार		24.7370		24.445	12.242	0.000	7.313	7.313	19.555			
9		पलामू	चैनपुर	विवाखाड़ आहर का जीर्णोद्धार		10.9040		9.628	5.000	0.000	4.255	4.255	9.255			
10		पलामू	मनातु	तेतर मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		22.8560		22.568	7.750	0.000	8.275	8.275	16.025			
11		पलामू	पड़वा	हुमराहा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		16.7310		13.012	0.000	0.000	11.877	11.877	11.877			
12		पलामू	सतवरवा	रनपुरी पहाड़ मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		60.8670		47.602	13.617	0.000	25.072	25.072	38.689			
13		पलामू			445.2395		399.994	95.000	0.000	224.192	224.192	319.192				
योग :-																

योग :-

(राशि लाख रूपये में)

38544

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		एकराशित राशि	मार्च 2022 तक व्यय	वर्ष 2022-23 में			योजना पर कुल आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति	
					प्रसंग	राशि			Online प्रसंग	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन				कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	1	पलामू	हरिहरगंज	जमुनादाहा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	18/2021-22 dt 28.10.2021	75.4650	1220 / 02.11.2021	58.423	16.186	0.000	33.000	33.000	49.186	38543	
15	2	पलामू	हरिहरगंज	झखरीतरी मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		117.2210		115.327	7.000	0.000	69.500	69.500	76.500		
16	3	पलामू	हैदरनगर	नीम आहर का जीर्णोद्धार		47.5800		37.210	9.798	0.000	18.000	18.000	27.798		
17	4	पलामू	पांडू	अहरी आहर का जीर्णोद्धार		11.0990		10.820	2.800	0.000	8.150	8.150	10.950		
18	5	पलामू	पांडू	मजुराहा मध्यम सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार		118.0045		92.483	39.216	0.000	54.500	54.500	93.716		
योग :-						369.3695		314.263	75.000	0.000	183.150	183.150	258.150		
19	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गोडडा (GDDMIR014)	गोडडा	वाकुरगंजी झमरिया वीयर योजना का जीर्णोद्धार	24/2018-19 dt 13.07.2018	250.669	882/ 13.07.2018	263.670	234.998	0.000	15.270	15.270	250.268	38542	
योग :-						250.6690		263.670	234.998	0.000	15.270	15.270	250.268		
सकल योग :-						1065.2780		977.927	404.998	0.000	422.612	422.612	827.610		
आवृत्ति राशि - रुपये चार करोड़ बाईस लाख इकसठ हजार दो सौ मात्र।															

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता74
21.07.2022(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव

दिनांक पत्रांक 74

दिनांक 21.07.2022

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -2

मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत व्यय
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उप शीर्ष-20-पुष्पनी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्मोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य,
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण
संशोधित बजट उपबंध (2022-23) - रुपये 9500.00 लाख (रुपये पंचानबे करोड़) मात्र
विपत्र कोड- 50S47020079620000545

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			एकराशि राशि	मार्च 2022 तक व्यय	वर्ष 2022-23 में			योजना पर कुल अदातन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि	Online प्रसंग			पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन			
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, सैबी (RNCMIIR001)	सैबी	सिल्ली	एराल मध्यम सिंचाई योजना का विस्तारीकरण	51/2019-20 dt.24.09.2019	98.935	1463/ 25.09.2019	88.007	88.007	0.000	4.020	4.020	92.027	38541	
						98.935		88.007	88.007	0.000	4.020	4.020	92.027		

योग :-

आवंटित राशि - रुपये चार लाख दो हजार मात्र।

(हरेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव